राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 1160 दिनांक : 28.01.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर)(पंचायत) राजस्थान।

2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत निर्वाचन)
   मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः–पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर सम्भवतः ईवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 49 दिनांक 01.01.2026 (सांविधिक आदेश संख्या 143 / 2026) से विहित किया हुआ है एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) आदेश क्रमांक प. 7(1)(1)पंचा / रानिआ / ईवीएम / 09 / 6318 दिनांक 18.12.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 58 / 09) के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाईन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाईन है सिवाय इसके कि, इसको पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" स्टांपित किया जावेगा।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएः–

1. उक्त सां. आ. सं. 143 / 2026 दिनांक 01.01.2026 के मद सं. 7 में वर्णित उर्ध्वाकार कॉलम (Vertical Column) में मतपत्र की क्रम संख्यांक एवं निर्वाचन की विशिष्टियाँ सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ – (i) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु **"नि.क्षे.सं.–21 / जि.प.स. / जयपुर / सा.नि. / 2026"** एवं (ii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु **"नि.क्षे.सं.–21 / पं.स.स. / जयपुर / सा.नि. / 2026"** एवं (iii) सरपंच के निर्वाचन हेतु **"सरपंच / पंचायत सर्किल .... / सा.नि. / 2026"** एवं (iv) वार्ड सं. 21 पंच के निर्वाचन हेतु **"वार्ड–21 / पंचायत सर्किल .... / सा.नि. / 2026"** अंकित होगा।

2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक होने पर और 16 से अधिक होने पर जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–1 एवं 1 ए,** पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–2 एवं 2 ए,** सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–3 एवं 3ए,** पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–4 एवं 4 ए** पर संलग्न है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम (MPSV) की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक होने पर और 15 से अधिक होने पर जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–5 एवं 5ए,** पंचायत समिति

सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–6 एवं 6ए,** सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–7 एवं 7ए** एवं पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–8 एवं 8ए** पर संलग्न हैं।

3. जहाँ मतपत्र की एक से अधिक शीट प्रयुक्त की जायेंगी, वहाँ आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियाँ अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नंबर–1, शीट नंबर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्रों के मुद्रण के समय अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह के मध्य का अन्तर तथा मतपत्र के ऊपर एवं नीचे स्थान छोड़े जाने के लिए ईवीएम में प्रदर्शित किये जाने हेतु मतपत्र का प्ररूप हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 01.01.2026 (सां. आ. सं. 143/2026) में अंकित निर्देशों को ध्यान में रखा जाए।

5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाईनमेंट मतदान यूनिट की लाईन के एकदम ऊपर है, यानि मतदान यूनिट की लाईन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाईनमेंट चैक किया जावेगा।

6. मतपत्रों पर हैण्ड नंबरिंग मशीन से पांच अंकों में या टाईप हाई नंबरिंग मशीन से छः अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 00001 या 000001 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नंबरिंग एक ही प्रकार से लगायी जायेगी। **नंबरिंग में पूरी सावधानी बरती जाए।**

7. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं हैं। मतपत्रों के 20–20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20–20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके। इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर ''1. जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल का नाम, जैसी भी स्थिति हो, 2. निर्वाचन क्षेत्र संख्या (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में), सरपंच पद के लिए शब्द 'सरपंच' एवं पंच पद के लिए वार्ड की संख्या अंकित की जायेगी। 3. मतपत्रों की क्रम संख्या .... से ....'' तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20–20 मतपत्रों के बण्डलों का निर्वाचन क्षेत्र संख्यावार एक पैकिट बनाया जावेगा। पैकिट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी।

8. मतपत्रों की साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही–सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिये। कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।

9. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगा:–
   (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिज़र्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।
   (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए 20–20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तदनुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के लगभग 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे–मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।

10. **मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तब यह सुनिश्चित किया जावे कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित किये जायेंगे, जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–5) में दर्शाये गये हैं, अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा।**

11. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो इस आशय के लिए संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

12. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे। मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की इन तक पहुँच नहीं हो।

13. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यो के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे।

14. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयारी के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुंच जाने चाहियें। यह ध्यान रखें कि सभी जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के तथा सरपंच/पंच के (जहॉ चुनाव ईवीएम से हो रहे है) **मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं एवं उन पर क्रम संख्यांक भी सही रूप से मुद्रित हो गये हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु उनका आकार सही हो।**

15. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 4196 दिनांक 17.10.2025 (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद हेतु) द्वारा जारी कर दी गई है। सरपंच/पंच पद के निर्वाचन, जो दलीय आधार पर नहीं होते हैं, के लिए निर्वाचन प्रतीकों के संबंध में अधिसूचना क्रमांक 4191 दिनांक 17.10.2025 द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि **मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों**

को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावें। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्टकॉपी आयोग के पत्रांक 5083–दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई है।

16. मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था राजकीय मुद्रणालय से ही की जावेगी। जिला परिषद सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के कागज का रंग **पीला** होगा तथा पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के कागज का रंग **नीला** होगा। सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के कागज का रंग **सफेद** होगा तथा पंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के कागज का रंग **गुलाबी** होगा।

17. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) **शब्दावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी।** मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिस रीति व क्रम में, वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **उक्त दोनों श्रेणी के हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होंगे लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होंगे।** मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम एवं वार्ड संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

18. पंच/सरपंच पद के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होते हैं। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम प्ररूप–5 में अंकितानुसार ही मतपत्र पर मुद्रित होंगे। प्ररूप–5 को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। सरपंच के निर्वाचन में पंचायत सर्किल का नाम तथा पंच के निर्वाचन में पंचायत सर्किल का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

19. मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे, इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। **मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व इनके प्रूफ को चैक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगावें।** निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों तथा यह ध्यान रखा जाए कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। पंच/सरपंच का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होते हैं। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की तैयार सूची प्ररूप–5 के अनुसार इनके मतपत्र मुद्रित होंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित होगा। उक्तानुसार प्रूफ की जाँच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी तथा **इस आशय का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे कि उन्होंने प्रूफ को देख लिया**

है तथा यह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार सही है। तद्नुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

20. मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की संख्या जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंच/सरपंच पदों के चुनावों हेतु वार्डवार संख्या/पंचायत सर्किलवार संख्या से आप अविलम्ब संबंधित मुद्रणालय को अवगत करा दें तथा आवश्यकतानुसार कागज आपके जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर लें।

21. **पंचायत समिति/पंचायत सर्किल में कार्यरत स्टॉफ को मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जाए।**

22. मतपत्रों को मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों पर लगाए जाने और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग हेतु मतदान केन्द्रों को प्रदाय किए जाने के पश्चात् सुरक्षित रखे हुये कुछ मतपत्र आपके पास अवितरित रह सकते हैं। ऐसे अवितरित शेष रहे मतपत्रों को निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे बक्से/सन्दूक में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे जिनका निस्तारण 6 माह पश्चात् किया जाएगा। शेष मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के सांविधिक आदेश 22/95 दिनांक 13.10.1995 में विनिर्दिष्ट की गई है।

उपरोक्तानुसार मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यथा समय वांछित व्यवस्था सम्पन्न कर ली जावें ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

28/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः– प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/1101-1107
दिनांक : 28.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

28.01.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

परिशिष्ट–1

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

नि.क्षे.सं. 21 / जि.प.स. / जयपुर / सा.नि. / 2026 मतपत्र की क्रम संख्या ....

1. प्रशान्त कुमार	
2. प्रशान्त कुमार	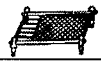
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	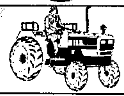
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	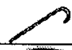
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	
11. प्रशान्त कुमार	
12. प्रशान्त कुमार	
13. प्रशान्त कुमार	
14. प्रशान्त कुमार	
15. प्रशान्त कुमार	
16. इनमें से कोई नहीं	

नि.क्षे.सं. 21 / जि.प.स. / जयपुर / सा.नि. / 2026

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–1ए

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या ....

1. प्रशान्त कुमार	
2. प्रशान्त कुमार	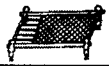
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	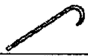
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	
11. प्रशान्त कुमार	
12. प्रशान्त कुमार	
13. प्रशान्त कुमार	
14. प्रशान्त कुमार	
15. प्रशान्त कुमार	
16. प्रशान्त कुमार	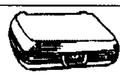

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या .....

17. प्रशान्त कुमार	
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–2

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की कम संख्या ... नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	
	12. प्रशान्त कुमार	
	13. प्रशान्त कुमार	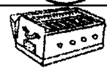
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	
	16. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	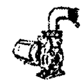
	12. प्रशान्त कुमार	
	13. प्रशान्त कुमार	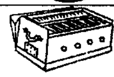
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	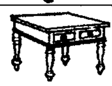
	16. प्रशान्त कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या ....

17. प्रशान्त कुमार	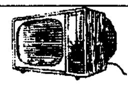
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	
21. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की कम संख्या ...... सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	
	12. प्रशान्त कुमार	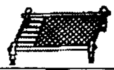
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	
	16. इनमें से कोई नहीं	

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम सं.	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	
	12. प्रशान्त कुमार	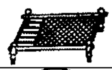
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	
	16. प्रशान्त कुमार	

शीट नं. 2 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम सं. ....

17. प्रशान्त कुमार	
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	
21. प्रशान्त कुमार	
22. प्रशान्त कुमार	
23. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग

परिशिष्ट–4

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल .... / सा.नि. / 2026 मतपत्र की क्रम सं. ...

वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल .... / सा.नि. / 2026

1. प्रशान्त कुमार	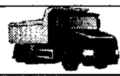
2. प्रशान्त कुमार	
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	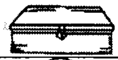
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	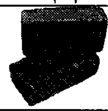
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	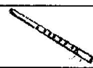
11. प्रशान्त कुमार	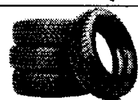
12. प्रशान्त कुमार	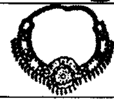
13. प्रशान्त कुमार	
14. प्रशान्त कुमार	
15. प्रशान्त कुमार	
16. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/MK-5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल ...... / सा.नि. / 2026 वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल ...... / सा.नि. / 2026 मतपत्र की क्रम सं. ...	1. प्रशान्त कुमार	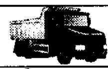
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	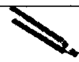
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	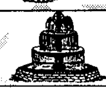
	6. प्रशान्त कुमार	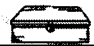
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	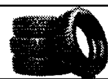
	12. प्रशान्त कुमार	
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	
	16. प्रशान्त कुमार	

शीट नं. 1 वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ...../सा.नि./2026 वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ...../सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम सं. .....

17. प्रशान्त कुमार	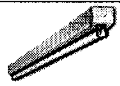
18. प्रशान्त कुमार	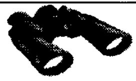
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	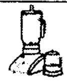
21. प्रशान्त कुमार	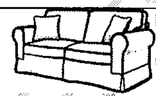
22. प्रशान्त कुमार	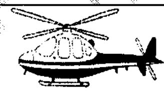
23. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या .....

नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026

1. प्रशान्त कुमार	
2. प्रशान्त कुमार	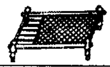
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	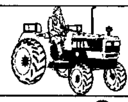
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	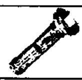
11. प्रशान्त कुमार	
12. प्रशान्त कुमार	
13. प्रशान्त कुमार	
14. प्रशान्त कुमार	
15. इनमें से कोई नहीं	

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/ सा.नि./2026नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या ......

1. प्रशान्त कुमार	
2. प्रशान्त कुमार	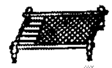
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	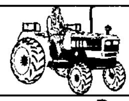
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	
11. प्रशान्त कुमार	
12. प्रशान्त कुमार	
13. प्रशान्त कुमार	
14. प्रशान्त कुमार	
15. प्रशान्त कुमार	

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/ सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या ...

16. प्रशान्त कुमार	
17. प्रशान्त कुमार	
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	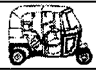
20. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	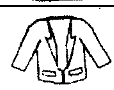
	8. प्रशान्त कुमार	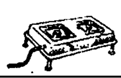
	9. प्रशान्त कुमार	
नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ सा.नि./2026	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	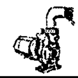
	12. प्रशान्त कुमार	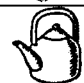
	13. प्रशान्त कुमार	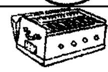
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. इनमें से कोई नहीं	

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या .....

1. प्रशान्त कुमार	
2. प्रशान्त कुमार	
3. प्रशान्त कुमार	
4. प्रशान्त कुमार	
5. प्रशान्त कुमार	
6. प्रशान्त कुमार	
7. प्रशान्त कुमार	
8. प्रशान्त कुमार	
9. प्रशान्त कुमार	
10. प्रशान्त कुमार	
11. प्रशान्त कुमार	
12. प्रशान्त कुमार	
13. प्रशान्त कुमार	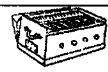
14. प्रशान्त कुमार	
15. प्रशान्त कुमार	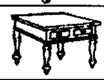

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ सा.नि./2026 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या ......

16. प्रशान्त कुमार	
17. प्रशान्त कुमार	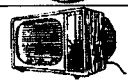
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	
21. इनमें से कोई नहीं	

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

सरपंच/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	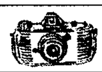
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	
	12. प्रशान्त कुमार	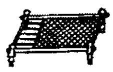
	13. प्रशान्त कुमार	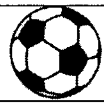
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. इनमें से कोई नहीं	

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 सरपंच/पंचायत सर्किल........./ सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल........./ सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	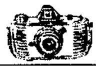
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	
	12. प्रशान्त कुमार	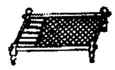
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	

शीट नं. 2 सरपंच/पंचायत सर्किल........./ सा.नि./2026 सरपंच/पंचायत सर्किल........./ सा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या ....

16. प्रशान्त कुमार	
17. प्रशान्त कुमार	
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	
21. प्रशान्त कुमार	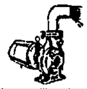
22. प्रशान्त कुमार	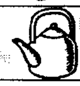
23. इनमें से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की कम संख्या ...... वार्ड 21/पंचायत सर्किल....../सा.नि./2026	1. प्रशान्त कुमार	
	2. प्रशान्त कुमार	
	3. प्रशान्त कुमार	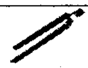
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	
	6. प्रशान्त कुमार	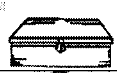
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	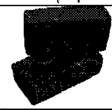
	9. प्रशान्त कुमार	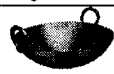
	10. प्रशान्त कुमार	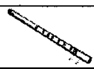
वार्ड 21/पंचायत सर्किल......../सा.नि./2026	11. प्रशान्त कुमार	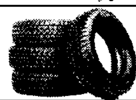
	12. प्रशान्त कुमार	
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. इनमें से कोई नहीं	

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मॉडल एवं मल्टीपोस्ट सिंगलवोट (MPSV) ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 वार्ड 21/पंचायत समिति......../सा.नि./2026 वार्ड 21/पंचायत समिति......./सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. प्रशान्त कुमार	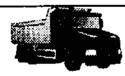
	2. प्रशान्त कुमार	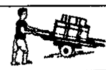
	3. प्रशान्त कुमार	
	4. प्रशान्त कुमार	
	5. प्रशान्त कुमार	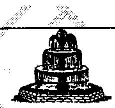
	6. प्रशान्त कुमार	
	7. प्रशान्त कुमार	
	8. प्रशान्त कुमार	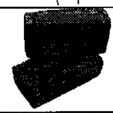
	9. प्रशान्त कुमार	
	10. प्रशान्त कुमार	
	11. प्रशान्त कुमार	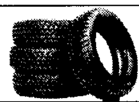
	12. प्रशान्त कुमार	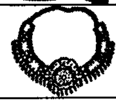
	13. प्रशान्त कुमार	
	14. प्रशान्त कुमार	
	15. प्रशान्त कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग

शीट नं. 2वार्ड 21/पंचायत सर्किल........./ सा.नि./2026 वार्ड 21/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या ......

16. प्रशान्त कुमार	
17. प्रशान्त कुमार	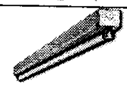
18. प्रशान्त कुमार	
19. प्रशान्त कुमार	
20. प्रशान्त कुमार	
21. प्रशान्त कुमार	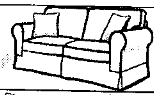
22. प्रशान्त कुमार	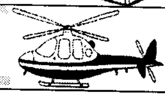
23. इनमें से कोई नहीं	